


अल्पकालीन निविदा सूचना


गन्ना विकास परिषद शाहगंज, जौनपुर की ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु मोहर बन्द निविदायें दिनांक 17-10-2020 को 2.00 बजे दिन तक गन्ना विकास परिषद शाहगंज, जौनपुर में आमंत्रित की जाती है। निविदायें उसी दिन 2.30 बजे दिन में उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष जिला गन्ना अधिकारी, जौनपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जायेंगी।


क्र० सं०	कार्य का नाम	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (ला०रु० में)	निविदा प्रपत्र की कीमत (रु० में) (स्टेशनरी + निविदा मूल्य + 12 % जी०एस०टी०)	घरोर धनराशि (रु० में)	कार्य पूर्ण की तिथि
1	ग्राम-नगहरा, विखर खुटहन में सोलिंग से जियादन बिन्द के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य।	0.144 कि०मी०	6.01	500+300+36 = 836.00	12020.00	15 दिवस

शर्त:-

1. निविदा पढ़ने के एक दिन पूर्व तक कार्यालय दिवस में निर्धारित धनराशि जमाकर निविदा एवं कार्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. गन्ना विकास परिषद द्वारा पंजीकृत ठेकेदारों को ही निविदा प्रपत्र बेची जायेंगी।
3. जमानत धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो कि मंत्री गन्ना विकास परिषद शाहगंज, जौनपुर के नाम स्वीकार होगी।
4. निविदा प्रपत्र लेने के पूर्व ठेकेदार द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जो कि छः माह के अन्दर का हो तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हो कि चरित्र प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ सलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. निविदा प्रपत्र लेने के पूर्व ठेकेदार द्वारा सेलटैक्स/व्यापार कर/रजिस्ट्रेशन की मूल कापी जमा करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
6. बिना जमानत धनराशि के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. धन उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जायेगा, जिसकी सूचना ठेकेदार को अलग से दी जायेगी। कार्य की मात्रा घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
8. निर्धारित समय सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदार का ठेका निरस्त कर किसी दूसरे ठेकेदार को ठेका देकर कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
9. ठेकेदार से नियमानुसार आयकर व बिक्री कर की कटौती उसके बिल से की जायेगी।
10. अलग-अलग कार्यों हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र लेना आवश्यक होगा।
11. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा कि बिना कारण बतायें निविदा निरस्त कर दें।


(कालीवरन)
अवर अभियन्ता
गन्ना विकास परिषद
शाहगंज, जौनपुर।


(अश्लेश्वर सिंह)
मंत्री
गन्ना विकास परिषद
शाहगंज, जौनपुर।


(हुदा सिंह)
जिला गन्ना अधिकारी
जौनपुर।


कार्यालय- मंत्री गन्ना विकास परिषद शाहगंज, जौनपुर

पत्रांक: 67/c

दिनांक: 30-09-2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिला गन्ना अधिकारी, जौनपुर।
2. क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, फैजाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, फैजाबाद।
4. उप गन्ना आयुक्त, फैजाबाद।
5. राष्ट्रीय सूचना केंद्र, जौनपुर (NIC की वेबसाइट पर लोड करने हेतु)। सी०पी०
6. मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
7. जिलाधिकारी महोदय, जौनपुर।
8. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि०, जौनपुर।


मंत्री,
गन्ना विकास परिषद
शाहगंज, जौनपुर।